न्यायालय– अवर न्यायाधीश, षष्ठम्, पटना सिटी

स्वत्व विभाजन वाद सं0–64 / 2020

सीआईएस 64 / 2020

24-05-2023 प्रस्तुत अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। वादी की ओर से हाजिरी दी गई है। वादी के द्वारा दिनांक–05.04.2023 को आवेदन दाखिल किया गया तथा आवेदन को संचालित करते हुए अभिकथन करते हैं कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हेतु चल रहा है। वादी अपनी ओर से दिनांक–30.01.2023 को साक्ष्य प्रस्तुत कर चुके हैं और माननीय के द्वारा वादी के साक्ष्य के पश्चात् वाद को अंतिम बहस की सुनवाई हेतु रखा गया है। जब अंतिम बहस के लिए तैयारी कर रहे थे, वादी का ध्यान आकृष्ट हुआ कि उनकी ओर से दाखिल दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित नहीं हो सका है। वादग्रस्त सम्पत्ति की सम्पूर्ण वास्तविक दस्तावेज प्रतिवादी सं0–1 महेश सिंह, जो वादी के पिता हैं, के कब्जे में है। इसलिए, पूर्व में वादी के द्वारा कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान की अभिप्रमाणित छायाप्रति को तथा अधिकार–अभिलेख के वेब कॉपी के कुछ फोटोकॉपी एवं रजिस्टर–2 के कॉपी, जिन्हें बिहार सरकार के साइट से डाउनलोड किया गया है, को दाखिल किया गया जा चुका है। वादी सर्वे खतियान की नई अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त कर चुके हैं, जिसे दाखिल किया जा रहा है। ये सभी दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के दायरे में सार्वजनिक दस्तावेज हैं। अतः आदेश दिनांक–30.01.2023 को रिकॉल करने की कृपा की जाय।

वादी को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया एवं अवलोकन व परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी के द्वारा जो उपरोक्त तथ्य वर्णित किया गया है कि दि0–30.01.2023 के आदेश को रिकॉल करते हुए प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर की मांग की गई है, लेकिन आदेश फलक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक–30.01.2023 को कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया जिसे रिकॉल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हो। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी के आवेदन को न्यायहित में खारिज किया जाता है। वाद वास्ते दि0–26.07.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

24.05.23

अवर न्यायाधीश, षष्ठम्
पटना सिटी